

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 387/2019

अनवान:-

1. गिरदावरी पत्नी साहबराम जाति मेघवाल निवासी करणीसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. सोना देवी पत्नी चुन्नीलाल जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
- वादीगण

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र रामु जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. भूरा पुत्री रामू जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. मैनेजर हनुमानगढ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
2. परोकार राज

निर्णय

दिनांक: 07/07/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के खाता संख्या 512/431 की कुल 12.3730 हैक्ट भूमि स्थित है जिसके वादीगण एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार कास्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी एवं प्रतिवादीगण की उक्त वाद भूमि मुश्तरका दर्ज है। वाद भूमि मुश्तरका खाता की होने के कारण वाद भूमि को लेकर सीव लगान का झगड़ा रहता है तथा कास्त के संबंध में भी झगड़ा रहता है इसलिए वादी अपना खाता व लगान मुताबिक कब्जा कास्त एवं हक हिस्सा के प्रतिवादीगण से अलग करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की उक्त भूमि का खाता व लगान अलग से तकसीम करवा ले तो पहले तो आजकल आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये। इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 2 व 4 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी प्रतिवादी स0 1 ता 2 व 4 उपस्थित नहीं अतः प्रतिवादी स0 1 ता 2 व 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली किया।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया वाद भूमि का मुताबिक कब्जा कास्त एवं हक हिस्सा के अनुसार खाता व लगान अलग अलग किया जावे। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

अ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर



विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के खाता संख्या 512/431 की कुल 12.3730 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 गिरदावरी पत्नी साहबराम जाति मेघवाल हि0 1/2 साकिन करणीसर जिला हनुमानगढ़, सोना देवी पत्नी चुन्नीलाल जाति मेघवाल हि0 1/2 सा0 गोरखाना खातेदार – प0न0 117/60(563) के किला न0 21/2 की 0.228 हैक्ट, 22-23 की 0.506 हैक्ट, 24/1 की 0.025 हैक्ट, 117/61(600) के किला न0 1/2 की 0.228 हैक्ट, 2-3 की 0.506 हैक्ट, 4/1 की 0.025 हैक्ट, 7/1 की 0.026 हैक्ट, 8-9 की 0.506 हैक्ट, 10/2 की 0.227 हैक्ट, 11/2 की 0.228 हैक्ट, 12-13 की 0.506 हैक्ट, 14/1 की 0.025 हैक्ट कुल 0.036 हैक्ट बारानी प्रथम
- 2 सुरजाराम पुत्र रामू हि0 5212/9337 हि0 जाति बावरी सा0 देह खातेदार, भूरा पुत्री रामू हि0 4125/9337 जाति बावरी सा0 देह खातेदार— 117/52(564) के किला न0 25 की 0.253 हैक्ट, 117/53(599) के किला न0 4 ता 7 की 1.012 हैक्ट, 15-16 की 0.506 हैक्ट, 25 की 0.253 हैक्ट, 117/64(640) के किला न0 5-6 की 0.506 हैक्ट, 117/60(563) के किला न0 17 की 0.253 हैक्ट, 24/2 की 0.228 हैक्ट, 117/61(6004/2) के किला न0 4/2 की 0.228 हैक्ट, 7/2 की 0.227 हैक्ट, 14/2 की 0.228 हैक्ट, 17 ता 19 की 0.759 हैक्ट, 20/2 की 0.228 हैक्ट, 21/2 की 0.228 हैक्ट, 22 ता 24 की 0.759 हैक्ट, 117/62(639) के किला न0 1/2 की 0.227 हैक्ट, 2 ता 4 की 0.759 हैक्ट, 8-9 की 0.506 हैक्ट, 10/2 की 0.228 हैक्ट, 11/2 की 0.228 हैक्ट, 12-13 की 0.506 हैक्ट, 18-19 की 0.506 हैक्ट, 20/2 की 0.228 हैक्ट, 21/1 की 0.228 हैक्ट, 22 की 0.253 हैक्ट कुल 9.337 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 387/2019

अनवान:-

1. गिरदावरी पत्नी साहबराम जाति मेघवाल निवासी करणीसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. सोना देवी पत्नी चुन्नीलाल जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र रामु जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. भूरा पुत्री रामू जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. मैनेजर हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 1175 सन 2024 निर्णय दिनांक 07/07/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार सावित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के खाता संख्या 512/431 की कुल 12.3730 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. गिरदावरी पत्नी साहबराम जाति मेघवाल हि० 1/2 साकिन करणीसर जिला हनुमानगढ़, सोना देवी पत्नी चुन्नीलाल जाति मेघवाल हि० 1/2 सा० गोरखाना खातेदार - प०न० 117/60(563) के किला न० 21/2 की 0.228 हैक्ट, 22-23 की 0.506 हैक्ट, 24/1 की 0.025 हैक्ट, 117/61(600) के किला न० 1/2 की 0.228 हैक्ट, 2-3 की 0.506 हैक्ट, 4/1 की 0.025 हैक्ट, 7/1 की 0.026 हैक्ट, 8-9 की 0.506 हैक्ट, 10/2 की 0.227 हैक्ट, 11/2 की 0.228 हैक्ट, 12-13 की 0.506 हैक्ट, 14/1 की 0.025 हैक्ट कुल 0.036 हैक्ट बारानी प्रथम
2. सुरजाराम पुत्र रामू हि० 5212/9337 हि० जाति बावरी सा० देह खातेदार, भूरा पुत्री रामू हि० 4125/9337 जाति बावरी सा० देह खातेदार- 117/52(564) के किला न० 25 की 0.253 हैक्ट, 117/53(599) के किला न० 4 ता 7 की 1.012 हैक्ट, 15-16 की 0.506 हैक्ट, 25 की 0.253 हैक्ट, 117/64(640) के किला न० 5-6 की 0.506 हैक्ट, 117/60(563) के किला न० 17 की 0.253 हैक्ट, 24/2 की 0.228 हैक्ट, 117/61(6004/2) के किला न० 4/2 की 0.228 हैक्ट, 7/2 की 0.227 हैक्ट, 14/2 की 0.228 हैक्ट, 17 ता 19 की 0.759 हैक्ट, 20/2 की 0.228 हैक्ट, 21/2 की 0.228 हैक्ट, 22 ता 24 की 0.759 हैक्ट, 117/62(639) के किला न० 1/2 की 0.227 हैक्ट, 2 ता 4 की 0.759 हैक्ट, 8-9 की 0.506 हैक्ट, 10/2 की 0.228 हैक्ट, 11/2 की 0.228 हैक्ट, 12-13 की 0.506 हैक्ट, 18-19 की 0.506 हैक्ट, 20/2 की 0.228 हैक्ट, 21/1 की 0.228 हैक्ट, 22 की 0.253 हैक्ट कुल 9.337 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 07/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर